कार्यालय आदेश

सामान्यतः उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में शिकायतों/द्वितीय अपीलों की संवीक्षा करते समय यह यह तथ्य संज्ञान में आया है कि शिकायतकर्ता/अपीलकर्ता को कुछ विधिक बिन्दुओं की जानकारी का अभाव रहता है एवं इस कारण उनके द्वारा प्रस्तुत शिकायत/द्वितीय अपील में त्रुटियॉ परिलक्षित होती हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–18 के तहत आयोग में शिकायत एवं धारा 19(3) के तहत आयोग में द्वितीय अपील का प्रावधान है। परन्तु आवेदकों को यह स्पष्ट जानकारी नहीं होती कि किन विषयों पर आयोग में शिकायत एवं किन विषयों पर आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत की जानी चाहिए।

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य बनाम मणिपुर राज्य एवं अन्य ए0आई0आर0 2012(एस0सी0) 864 में इस आशय की विधि व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है कि धारा–18 के अन्तर्गत् शिकायत एवं धारा–19(3) के अन्तर्गत् प्रस्तुत द्वितीय अपील की प्रकृति भिन्न–भिन्न है, तथा सूचना आयोग द्वारा धारा–18 के अन्तर्गत् शिकायतकर्ता को सूचनायें उपलब्ध कराये जाने का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है, बल्कि सूचनायें उपलब्ध कराये जाने का आदेश अधिनियम की धारा 19(3) के अन्तर्गत् योजित द्वितीय अपील में ही पारित किया जा सकता है। इसके बावजूद शिकायतकर्ता द्वारा धारा–18 के अन्तर्गत् शिकायत प्रस्तुत करते हुए अपनी शिकायत में सूचनाओं की मॉग की जाती है, जबकि उक्त अनुतोष मा0 उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था के अनुसार शिकायत के प्रकरणों में देय नहीं है।

इसी प्रकार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–19(8)(ख) में क्षतिपूर्ति दिलाये जाने का प्रावधान है, तथा उक्त क्षतिपूर्ति दिलाये जाने का प्रावधान धारा–19 में अपील शीर्षक के अन्तर्गत् उल्लिखित है तथा धारा–18 के अन्तर्गत् शिकायत प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में क्षतिपूर्ति दिलाये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा भी भारत संघ बनाम पी0के0श्रीवास्तव (MANU/DE/1132/2013) में अभिनिर्धारित किया गया है कि सूचना आयोग शिकायत के प्रकरण में क्षतिपूर्ति का अनुतोष प्रदान नहीं कर सकता है, वरन् क्षतिपूर्ति का अनुतोष मात्र द्वितीय अपील में ही प्रदत्त किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि शिकायतकर्ता

द्वारा धारा–18 के अन्तर्गत् शिकायत प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में भी क्षतिपूर्ति की मॉग की जाती है, जबकि अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत् यह अनुतोष केवल द्वितीय अपील के प्रकरणों में ही उपलब्ध कराया जा सकता है।

ऐसे में आयोग के समक्ष उपस्थित होने वाले आवेदकों द्वारा शिकायत के प्रकरणों में ऐसे अनुतोष की मॉग की जाती है, जो उन्हें शिकायत के प्रकरणों में दिलाया जाना सम्भव ही नहीं होता। यदि ऐसे प्रकरणों में सुनवाई की जाती है, तब अंतिम निस्तारण के समय वॉछित अनुतोष शिकायतकर्ता को दिलाया जाना उपरोक्त उपबन्धों के कारण सम्भव नहीं हो पाता है।

अतएव यह आवश्यक है कि संवीक्षा के स्तर पर ही द्वितीय अपील/शिकायत में आने वाली उपरोक्त त्रुटियों की जॉच की जाय तथा उपरोक्त त्रुटि पाये जाने पर द्वितीय अपील/शिकायत सम्बन्धित पक्षकार को त्रुटि निवारण हेतु वापस कर दी जाए, जिससे कि आवेदक को प्रारम्भिक स्तर पर ही जानकारी हो जाये कि जो अनुतोष वह पाना चाहता है, उसे वह अनुतोष किस प्रकिया के माध्यम से प्राप्त होगा।

जिन प्रकरणों में आवेदक के आवेदन में स्वतः यह स्पष्ट नहीं होता है कि वह प्रकरण में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर रहा है अथवा शिकायत, ऐसी दशा में प्रकरण को द्वितीय अपील के रूप में स्वीकार किया जाना इस कारण न्यायोचित है, क्योंकि द्वितीय अपील में ही अधिकतम अनुतोष आयोग द्वारा आवेदक को प्रदान किये जा सकते हैं तथा धारा–18 के अन्तर्गत् शिकायत में आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं करायी जा सकती है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत् कार्यालय आदेश संख्या 610/सचिव/2015 दिनॉकित 15 जून, 2015 के पैरा 2(ii) एवं कार्यालय आदेश संख्या 172/उ0प्र0सू0आ0/रजिस्ट्रार/1(1)/2019 दिनॉकित 24 सितम्बर, 2021 को अधिकमित करते हुए संवीक्षा के कार्य हेतु निम्न व्यवस्था की जाती है:–

1) जहॉ आवेदन से यह स्पष्ट नहीं है कि वह धारा–18 के अन्तर्गत् शिकायत है अथवा धारा 19(3) के अन्तर्गत् द्वितीय अपील, वहॉ संवीक्षा पटल के कर्मचारियों के द्वारा आवेदन की संवीक्षा इस प्रकार की जाएगी कि प्रस्तुत आवेदन "**द्वितीय अपील**" है।
2) यदि आवेदक के प्रार्थना पत्र से स्पष्ट है कि उसके द्वारा धारा–18 के अन्तर्गत् शिकायत प्रस्तुत की गयी है, किन्तु उसके द्वारा सूचना अथवा क्षतिपूर्ति अथवा दोनों की

मॉग की गयी है तो ऐसे प्रार्थना–पत्र को उपरिलिखित आधार पर त्रुटिपूर्ण माना जायेगा एवं त्रुटि निवारण हेतु आवेदक को वापस कर दिया जायेगा।

यह कार्यालय आदेश सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15(4) में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी किया जा रहा है जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(भवेश कुमार सिंह)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

कार्यालय उ0प्र0 सूचना आयोग, RTI भवन, विभूति खण्ड, लखनऊ

पत्रांक 172/उ0प्र0सू0आ0/रजिस्ट्रार/1(1)/2019 दिनांक: 05 अक्टूबर 2021

1) प्रतिलिपि निजी सचिव, मा0 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को इस आशय से कि वह मा0 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें।
2) प्रतिलिपि निजी सचिव, मा0 राज्य सूचना आयुक्तगण को इस आशय से कि वह मा0 राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें।
3) सचिव, उ0प्र0 सूचना आयोग।
4) संयुक्त रजिस्ट्रार, उ0प्र0 सूचना आयोग।
5) उप सचिव, उ0प्र0 सूचना आयोग।
6) प्रशासनिक/जन सूचना अधिकारी, उ0प्र0सूचना आयोग।
7) शोध अधिकारीगण, उ0प्र0 सूचना आयोग को पालनार्थ।
8) संवीक्षा पटल के कर्मचारीगण को पालनार्थ।

5/10/2021
(प्रशान्त बिलगैयॉ)
रजिस्ट्रार